<u>न्यायालय–विशिष्ट न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस. प्रकरण, श्रीगंगानगर (राज०)</u>

पीठासीन अधिकारी – अजय कुमार भोजक
(जिला न्यायाधीश)

सेशन प्रकरण संख्या – 17/2019

सीआईएस संख्या – 17/2019

सीएनआर संख्या – RJSG070000952019

राजस्थान राज्य, जरिए विशिष्ट लोक अभियोजक।

बनाम

1– गुरप्रीतसिंह पुत्र बलविन्द्रसिंह , जटसिख, निवासी–चक महाराजका पुलिस थाना जवाहरनगर , श्रीगंगानगर ।

2– सुरेन्द्रसिंह उर्फ छिन्दा पुत्र साधुसिंह, जटसिख, निवासी–अबूबशहर तहसील–डबवाली जिला–सिरसा (हरियाणा) हाल वार्ड नम्बर–07 सुंदरनगर डबवाली पीएस सिटी डबवाली तहसील–डबवाली जिला–सिरसा (हरियाणा)

–अभियुक्तगण

<u>अपराध अन्तर्गत धारा – 8/21, 8/29 स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985</u>

उपस्थित:–1. श्री विजेन्द्र कुमार विशिष्ट लोक अभियोजक, राज्य की ओर से ।

2. श्री रामचंद्र धारणियां, अधिवक्ता, अभियुक्त गुरप्रीत सिंह की ओर से ।

3. श्री विक्रम गोदारा, अधिवक्ता अभियुक्त सुरेन्द्र सिंह उर्फ छिन्दा की ओर से ।

–:: निर्णय ::– दिनांकः– 17.03.2026

01. थानाधिकारी पुलिस थाना जवाहरनगर, श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक–05.03.2019 को विशिष्ट लोक अभियोजक के मार्फत अभियुक्तगण गुरप्रीतसिंह व सुरेन्द्रसिंह उर्फ छिन्दा के विरूद्ध धारा –8/21, 29 स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (जिसे एतस्मिन् पश्चात 'अधिनियम' सम्बोधित किया जाएगा) के तहत आरोप–पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

02. इस प्रकरण का उद्भव बरामदगीकर्ता परिवादी पी०ड० 16 राधेश्याम द्वारा जरिये फर्द बरामदगी प्रदर्शपी–18 के एफआईआर नम्बर–421/2017 पुलिस थाना जवाहरनगर , श्रीगंगानगर में दर्ज कराने से हुआ।

03. प्रकरण के संक्षिप्त में सुसंगत व आवश्यक तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 30.07.2017 को कार्यवाहक थानाधिकारी राधेश्याम पुलिस उपनिरीक्षक पुलिस

थाना–जवाहरनगर, श्रीगंगानगर मय मुलाजमान व सीओ वृत्त शहर श्रीगंगानगर के अवैध मादक पदार्थ कारोबार में संलिप्त बदमाशान की धरपकड़ एवं गश्त हेतु रवाना होकर वक्त 5.30 पीएम पर गांव कालुवाला के मैन फलाई ऑवर के पास पंहुचा तो वहां पर श्री तुलसीदास पुरोहित आरपीएस वृत्ताधिकारी वृत्त शहर श्री गंगानगर मय मुलाजमान के मिले जिनके साथ वहां से रवाना होकर वक्त 5.45 पीएम पर गश्त करते हुए नजद अटल सेवा केन्द्र चक महाराज का थाना क्षेत्र जवाहरनगर जिला–श्री गंगानगर के पास पंहुचे तो करीब 10 कदम की दूरी से अटल सेवा केन्द्र के सामने रास्ता आम पर एक व्यक्ति सफेद चोला पाजामा पहने हुए खड़ा हुआ नजर आया जो पुलिस पार्टी को देखकर एकदम से भागा, शक होने पर कार्यवाहक थानाधिकारी राधेश्याम पुलिस उप निरीक्षक मय जाप्ता एवं श्री तुलसीदास पुरोहित आरपीएस वृत्ताधिकारी वृत्त शहर श्री गंगानगर मय मुलाजमान ने पीछा कर काबू कर नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम गुरप्रीत सिंह पुत्र श्री बलविन्द्र सिंह देवी निवासी –चक महाराजका पुलिस थाना जवाहरनगर श्रीगंगानगर बताया।

जिस पर थानाधिकारी, राधेश्याम पुलिस उप निरीक्षक पुलिस थाना द्वारा बावर्दी अपना परिचय गुरप्रीतसिंह को दिया गया एवं तलाशी हेतु स्वतंत्र गवाह उपलब्ध नही होने पर मुलाजमान सुरेशचंद्र एएसआई एवं मुकेश कुमार कानि. को स्वतंत्र गवाह बनाकर व उन्हें लिखित नोटिस दिया जाकर गुरप्रीत सिंह की नियमानुसार जामा तलाशी विधि के प्रावधानो अनुसार ली तो उसके दाहिने हाथ में छुपाई हुई एक पोलीथीन की पारदर्शी छोटी थैली जिसके उपर चिपकने वाला लॉक सिस्टम था के अन्दर सफेद सा एक डलीनुमा पदार्थ डाला हुआ मिला था उक्त पदार्थ के बारे में गुरप्रीतसिंह से पुछा तो उसने कोई जवाब नही दिया जिस पर थानाधिकारी राधेश्याम उपनिरीक्षक ने गुरप्रीतसिंह के कब्जेशुदा उक्त थैली को खोलकर चैक किया तो उक्त गीला डलीनुमा पदार्थ मादक पदार्थ चिट्टा हेरोईन होना पाया। गुरप्रीतसिंह ने भी उक्त पदार्थ चिट्टा हेरोईन होना स्वीकार किया। गुरप्रीतसिंह से अपने कब्जा में चिट्टा हेरोइन रखने बाबत अनुज्ञापत्र बाबत पूछा तो उसने नहीं होना बताया तथा स्वयं के पीने के लिये खरीदना बताया। गुरप्रीतसिंह द्वारा बिना अनुज्ञापत्र के अपने कब्जा में मादक पदाथ चिट्टा हेरोईन रखना पाया जाना जुर्म धारा–8/21 एन.डी.पी.एस. एक्ट का अपराध होने से मौके पर ही मादक पदार्थ चिट्टा हेरोईन का कम्प्यूटर कांटा से तोल किया तो शुद्ध चिट्टा हेरोईन का वजन 7.00 ग्राम (सात ग्राम) हुआ। उक्त 7.00 ग्राम चिट्टा हेरोईन को उसी पोलीथीन की छोटी थैली में डालकर एक प्लास्टिक डिब्बी में सुरक्षित रखकर सफेद कपड़े की थैली में मय चिट माल के सील मोहर चपड़ी कर बतौर सैम्पल मार्क (A) से कब्जा पुलिस में लिया गया। इसके अलावा गुरप्रीतसिंह की जामा तलाशी में अन्य कोई आपतिजनक वस्तु नहीं मिली। गुरप्रीतसिंह के कब्जा से उपरोक्तानुसार मादक पदार्थ चिट्टा हेरोईन बरामद होने

पर गुरप्रीतसिंह का कृत्य धारा–8/21 एनडीपीएस एक्ट की अनुपालना में दण्डनीय अपराध होने के कारण उपरोक्त सील्ड पैकेट मार्क (A) को सील मोहर करने में प्रयुक्त सील को एक सफेद कपड़े की थैली में डालकर दूसरी सीलमोहर से मय चिट माल के सील मोहर चपड़ी मार्क (B) से किया गया। गुरप्रीतसिंह के विरूद्ध जुर्म अंतर्गत धारा –8/21 एनडीपीएस एक्ट का अपराध अजमानतीय होने पर जरिये नोटिस धारा–52 एनडीपीएस एक्ट की अनुपालना में जरिये फर्द गिरफतार किया।

मौका फर्द बरामदगी तैयार की गई। इस फर्द के आधार पर पुलिस थाना जवाहरनगर, श्रीगंगानगर में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या– 421/2017 अन्तर्गत धारा–8/21 एनडीपीएस एक्ट दर्ज की गई। दौराने अनुसंधान बरामदगीस्थल के नक्शा व हालात मौका बनाए गये, नक्शामौका व हालात मौका तस्दीकशुदा मकान सुरेन्द्रसिंह उर्फ छिंदा निशानदेही अभियुक्त गुरप्रीतसिंह तैयार किया, फर्द इत्तला धारा–27 साक्ष्य अधिनियम अभियुक्त गुरप्रीतसिंह के आधार पर अभियुक्त सुरेन्द्रसिंह उर्फ छिंदा को जरिये फर्द गिरफतार किया , गवाहान के बयान उनके कथनानुसार लेखबद्ध किए आदि। बाद अनुसंधान अभियुक्तगण गुरप्रीतसिंह व सुरेन्द्रसिंह उर्फ छिंदा के विरूद्ध धारा –8/21, 29 स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के तहत आरोप–पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय में आरोप–पत्र प्रस्तुत होने पर अभियुक्तगण के विरूद्ध उक्त अपराध धारा में अपराध का प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज किया गया।

04. बहस चार्ज सुनी जाकर दिनांक 2–1–2023 को अभियुक्त गुरप्रीतसिंह के विरूद्ध अधिनियम की धारा–8/21 व 8/29 के आरोप प्रथम दृष्टया बनना पाये जाने पर तथा दिनांक–16.03.224 को अभियुक्त सुरेन्द्रसिंह उर्फ छिंदा के विरूद्ध अधिनियम की धारा–8/29 का आरोप प्रथम दृष्टया बनना पाये जाने पर पृथक से विरचित कर सुनाये व समझाये गये, तो अभियुक्तगण ने आरोप सुन समझकर आरोप से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

05. अभियोजन की ओर से अपने मामले को साबित करने के लिए साक्ष्य अभियोजन में गवाह पी०ड० 1 सनोज कुमार, पी.ड.2 राजेंद्र कुमार, पी.ड.3 मनफूल, पी.ड.4 केशव शर्मा, पी.ड.5 प्रतापसिंह, पी.ड. 6 विनोद कुमार, पी.ड. 7 योगेश, पी.ड.8 श्रीमती सुनीता, पी.ड.9 चेतराम, पी.ड. 10 राकेश कुमार, पी.ड. 11 महेंद्र कुमार, पी.ड. 12 संदीपसिंह, पी.ड. 13 जगप्रीतसिंह, पी.ड. 14 सुरेश चंद्र, पी.ड. 15 मुकेश कुमार, पी.ड. 16 राधेश्याम, पी.ड. 17 श्रीमती प्रकाश देवी, पी.ड. 18 स्वर्णसिंह, पी.ड. 19 रामस्वरूप, पी.ड. 20 कमलेश कुमार, पी.ड. 21 सुनील कुमार व पी.ड. 22 जीवराजसिंह को परीक्षित करवाया तथा साक्ष्य अभियोजन समाप्त की। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रलेखीय साक्ष्य में

निम्नलिखित दस्तावेजात को प्रदर्शित करवाया:–

क्रम सं०	प्रदर्श	विवरण
1.	प्रदर्श पी–1	अग्रेषण–पत्र
2.	प्रदर्श पी–2	एफएसएल प्राप्ति रसीद
3.	प्रदर्श पी–3	हस्ताक्षरयुक्त प्रति तथ्यात्मक रिपोर्ट
4.	प्रदर्श पी–4, 4 ए	नक्शामौका व हालात मौका तस्दीकशुदा मकान सुरेन्द्रसिंह उर्फ छिंदा निशानदेही अभियुक्त गुरप्रीतसिंह
5.	प्रदर्श पी–5	फर्द इत्तला धारा –27 साक्ष्य अधिनियम अभियुक्त गुरप्रीतसिंह
6.	प्रदर्श पी–6 व 6 ए	नक्शामौका व हालात मौका बरामदगीस्थल
7	प्रदर्श पी–7	फर्द गिरफतारी एवं जामा तलाशी अभियुक्त सुरेन्द्रसिंह उर्फ छिंदा
8	प्रदर्श पी–8	फर्द तस्दीक मकान व संदिग्ध सुरेन्द्र उर्फ छिंदा निशानदेही अभियुक्त गुरप्रीतसिंह
9	प्रदर्श पी–9	सत्यापन प्रतिवेदन
10	प्रदर्श पी–10	न्यायालय–न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या–2 श्रीगंगानगर की फर्द अहकाम दिनांक–15.02.2019
11.	प्रदर्श पी–11	थानाधिकारी पुलिस थाना जवाहरनगर श्रीगंगानगर द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या–2 श्रीगंगानगर को हस्तगत प्रकरण में धारा–52 ए एनडीपीएस एक्ट की कार्यवाही बाबत दी गई तहरीर
12.	प्रदर्श पी–12	न्यायालय–न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या–2 श्रीगंगानगर की फर्द अहकाम दिनांक–14.02.2019

13.	प्रदर्श पी–13	थानाधिकारी पुलिस थाना जवाहरनगर श्रीगंगानगर द्वारा न्यायालय–मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर को हस्तगत प्रकरण में धारा–52 ए एनडीपीएस एक्ट की कार्यवाही करने के लिये मजिस्ट्रेट नियुक्त करवाने बाबत दी गई तहरीर
14.	प्रदर्श पी–14	न्यायालय–मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर की फर्द अहकाम दिनांक–14.02.2019
15.	प्रदर्श पी–15	न्यायालय–न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या–2 श्रीगंगानगर द्वारा हस्तगत प्रकरण में जब्तशुदा वजह की सत्यापन कार्यवाही भिजवाने बाबत हस्तगत न्यायालय को दिया गया पत्र
16.	प्रदर्श पी–16 व 17	फोटोग्राफ्स
17.	प्रदर्श पी–18	फर्द बरामदगी
18	प्रदर्श पी–19	चिट नमूना सील
19	प्रदर्श पी–20, 20 ए	मालखाना रजिस्टर व इसकी प्रति
20.	प्रदर्श पी–21	पुलिस बयान गवाह संदीपसिंह
21.	प्रदर्श पी–22	पुलिस बयान गवाह जगप्रीतसिंह
22.	प्रदर्श पी–23	स्वतंत्र मोतबिर बाबत नोटिस गवाह सुरेशचंद्र
23	प्रदर्श पी–24	नाटिस धारा–52 एनडीपीएस एक्ट अभियुक्त गुरप्रीतसिंह
24	प्रदर्श पी – 25	फर्द गिरफतारी एवं जामा तलाशी अभियुक्त गुरप्रीतसिंह
25	प्रदर्श पी– 26	स्वतंत्र मोतबिर बाबत नोटिस गवाह मुकेश कुमार
26	प्रदर्श पी–27	प्रथम सूचना रिपोर्ट
27	प्रदर्श पी–28	थानाधिकारी पुलिस थाना जवाहरनगर श्रीगंगानगर द्वारा पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर को हस्तगत प्रकरण में अग्रेषणपत्र जारी करने बाबत दी गई तहरीर

28	प्रदर्श पी–29	एफएसएल रिपोर्ट
29	प्रदर्श पी–30 से 34	रोजनामचा आम
30	प्रदर्श पी–35	नष्टीकरण प्रमाण पत्र

06 अभियोजन साक्ष्य की समाप्ति पर अभियुक्तगण का परीक्षण धारा–313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत किया गया तो अभियुक्तगण ने साक्षीगण के बयानों को गलत होना बताया तथा कथन किया कि वे निर्दोष हैं, उन्हें इस प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त गुरप्रीत सिंह द्वारा साक्ष्य सफाई में गवाह पेश करने हेतु अवसर चाहा परन्तु बचाव पक्ष द्वारा साक्ष्य सफाई में कोई मौखिक साक्ष्य एवं दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की गई।

07. बहस अंतिम सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित अवधारणीय बिन्दु हैः–

1. क्या दिनांक–30–7–20217 को या उससे पूर्व किसी समय अभियुक्त गुरप्रीत सिंह ने अभियुक्त सुरेन्द्र सिंह उर्फ छिन्दा से बिना बिल व पर्ची के हेरोईन क्रय कर अपने कब्जा में रखने व परिवहन करने का व अभियुक्त सुरेन्द्र सिंह उर्फ छिन्दा द्वारा अभियुक्त गुरप्रीत सिंह को हेरोईन विक्रय कर आपराधिक षड़यंत्र कारित किया , जिसके अनुसरण में दिनांक 30–7–2017 को वक्त 6.20 पी एम के लगभग अटल सेवा केन्द्र के सामने मेन रोड़ चक महाराज का श्रीगंगानगर पर अभियुक्त गुरप्रीत सिंह के दाहिने हाथ में से पारदर्शी छोटी थैली में रखी 07 ग्राम हेरोईन (चिट्टा) बरामदा हुआ , जिसको रखने का अभियुक्त के पास कोई लाईसेंस , अनुज्ञा पत्र या प्राधिकार नहीं था ?

08. इस सम्बंध में अभियुक्त गुरप्रीत सिंह के विद्वान अधिवक्ता की ओर से अपनी बहस के दौरान तर्क दिये गये कि अभियुक्त से की गई बरामदगी संदेहजनक है। बरामदगीस्थल आबाद एरिया है लेकिन वक्त बरामदगी कोई स्वतंत्र गवाह नही रखा गया है। इसके अतिरिक्त यह भी तर्क दिया गया कि बरामदगी के वक्त सी.ओ. तुलसीदास भी वहां मौजूद थे लेकिन उनके हस्ताक्षर फर्द पर नही है।

09. विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से यह भी तर्क दिया गया कि पुलिस द्वारा हस्तगत प्रकरण में बरामदगी से पूर्व धारा–42 एवं 50 एनडीपीएस एक्ट की पालना नही की गई है और न ही विधिनुसार उच्चाधिकारियों को बरामदगी की सूचना देकर धारा–57 एनडीपीएस एक्ट में वर्णित प्रावधानों की पालना की गई है जो अभियोजन कहानी को संदेहजनक बनाता है।

10. विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से यह भी तर्क दिया गया कि हस्तगत

प्रकरण में सैम्पलिंग भी विधिनुसार नही हुई है तथा जब्तशुदा माल एफएसएल में सील्ड हालत में पहुंचा हो , इसकी भी पुष्टि नही होती है। आगे तर्क देते हुये कहा कि जो रोजनामचा पत्रावली पर पेश होकर प्रदर्शित हुआ है, वह ऑनलाईन है, उसके समर्थन में धारा–65 बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाणपत्र भी पेश नही हुआ है। अतः वह साक्ष्य में ग्राह्य नही है। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से यह भी तर्क दिया गया कि बरामदगीकर्त्ता अधिकारी राधेश्याम एसएचओ या कार्यवाहक एसएचओ रहा हो, ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही हुई है। अतः बरामदगीकर्त्ता राधेश्याम के द्वारा की गई बरामदगी दूषित हो जाती है। अभियुक्त के द्वारा सह अभियुक्त के साथ मिलकर आपराधिक षड़यंत्र कारित करने बाबत भी कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। यह भी तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष की ओर से जो गवाहान पेश हुये हैं, उनके बयानों में भी गंभीर विरोधाभास है। उन्होंनें अभियुक्त गुरप्रीत सिंह को आरोपित आरोपों से संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया। उन्होंने अपने कथनों के समर्थन में निम्नांकित न्यायिक दृष्टांत पेश कियेः'–

1. 1990 Cr.L.R(Raj.) 149
   Bhanwar Singh & Anr. vs The State of Rajasthan
2. 1999 Cr.L.R.(Raj.)372
   Mishri Lal vs State
3. S.B.Criminal Appeal 1346/2025
   State of Rajasthan , Through PP vs Pawan Kumar
   Date of Order 23–7–2025
4. 2011 (1) R.Cr.D.422(Raj.)
   Umrao vs State of Rajasthan
5. AIR 1995 Supreme Court 1157
   Mohinder Kumar vs The State Panaji , Goa .
6. 2010 (2) Cr.L.R.(Raj.)1792
   Hussain Mohd. @ Baccha vs State of Rajasthan

11. अभियुक्त सुरेन्द्रसिंह के विद्वान अधिवक्ता की ओर से बहस के दौरान यह भी तर्क दिया गया कि अभियुक्त सुरेन्द्रसिंह से किसी प्रकार की कोई बरामदगी नही हुई है, अभियुक्त सुरेन्द्रसिंह को सह–अभियुक्त के कथनानुसार अभियुक्त बनाया गया है। सुरेन्द्रसिंह के सम्बंध में कोई लिंक साक्ष्य आपसी लेनदेन, वॉटसअप मैसेजस व कोई लेनदेन बाबत बैंक स्टेटमेंट आदि पेश नही हुआ है। उक्त सभी तर्क देते हुये उन्होनें कहा कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित आरोप को साबित करने में असफल रहा है। उन्होनें अभियुक्त सुरेन्द्र सिंह को आरोपित आरोपों से संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया।

12. जबकि इसके विपरीत विद्वान विशिष्ट लोक अभियोजक ने अपनी बहस के दौरान तर्क दिया कि अभियुक्त से की गई बरामदगी कतई संदेहजनक नही है। बरामदगीस्थल पर स्वतंत्र गवाह नही मिलने के कारण पुलिस मुलाजमान को उनकी सहमति लेकर गवाह रखा गया है और स्वतंत्र गवाह पेश नही होने से अभियोजन कहानी संदेहजनक नही होती है। यह भी तर्क दिया कि पुलिस द्वारा हस्तगत प्रकरण में धारा–42, 50 व 57 एनडीपीएस एक्ट की विधिनुसार पालना की गई है तथा सैम्पलिंग भी विधिनुसार की गई है व जब्तशुदा सैम्पल सील्ड हालत में एफएसएल में जमा हुआ है। सीओ तुलसीदास के फर्द पर हस्ताक्षर नही होने से बरामदगी संदेहजनक नही होती है। बरामदगी के सम्बंध में सभी गवाहान द्वारा अभियुक्त गुरप्रीतसिंह से बरामदगी होने के सम्बंध में स्पष्ट कथन किये गये है। गवाहान के बयानों में मामूली विरोधाभास होने से अभियोजन कहानी को संदेहजनक नही माना जा सकता है।

13. विद्वान विशिष्ट लोक अभियोजक द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि बरामदगीकर्त्ता अधिकारी राधेश्याम कार्यवाहक एसएचओ रहा है, इसकी पुष्टि प्रदर्शित रोजनामचा से होती है तथा रोजनामचा भी ऑनलाईन पेश होकर प्रदर्शित हुआ है। इसमें किसी प्रकार के हेरफेर की संभावना नही रहती है। प्रदर्शित दस्तावेज साक्ष्य में ग्राह्य है। विद्वान विशिष्ट लोक अभियोजक द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि अभियुक्त सुरेन्द्रसिंह के विरूद्ध भी आरोपित आरोप कड़ीबद्ध साक्ष्य से साबित होता है। उक्त सभी तर्क देते हुये उन्होनें कहा कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत गवाहान के बयानों व प्रदर्शित दस्तावेजों से अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित आरोप संदेह से परे साबित है। अतः उन्होनें अभियुक्तगण को आरोपित आरोप में दोषसिद्ध किये जाने का निवेदन किया गया। उन्होंने अपने कथनों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश कियाः–

1. 2013 (4) Crimes 4 (SC)
   Gian Chand & Ors. Vs. State of Haryana
2. AIR 2002 Supreme Court 3658

   Narayanaswamy Ravishankar vs Asstt.Director Directorate of Revenue inteligence
3. 2004 Cri. L.R 5049

   Nasir Ganibhai shikh and another vs State of Gujarat

14. इस प्रकरण में गुरप्रीत सिंह के विरूद्ध अधिनियम की धारा 8/21, 8/21 सपठित धारा 29 का आरोप है एवं अभियुक्त सुरेन्द्र सिंह उर्फ छिन्दा के विरूद्ध अधिनियम की धारा 8/21 सपठित धारा 29 का आरोप है। इसे साबित करने के लिये

अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में कुल 22 साक्षीगण को परीक्षित कराया है और दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श पी 1 से प्रदर्श पी 35 दस्तावेजात प्रदर्शित कराये गये ।

15. जहां तक अभियुक्त गुरप्रीत सिंह से बरामदगी का प्रश्न है । विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का तर्क है कि अभियुक्त से की गई बरामदगी संदेहजनक है। बरामदगीस्थल आबाद एरिया है लेकिन वक्त बरामदगी कोई स्वतंत्र गवाह नही रखा गया है। इसके अतिरिक्त यह भी तर्क दिया गया कि बरामदगी के वक्त सी.ओ. तुलसीदास भी वहां मौजूद थे लेकिन उनके हस्ताक्षर फर्द पर नही है। इस सम्बन्ध में प्रस्तुत साक्ष्यों का अवलोकन किया।

16. इस सम्बन्ध में बरामदगीकर्ता अधिकारी गवाह पी.ड. 16 राधेश्याम ने अपने सशपथ कथनों में कथन किया है कि दिनांक 30.07.2017 को वह पुलिस थाना जवाहरनगर में कार्यवाहक एसएचओ के पद पर कार्यरत था। उस रोज वह अपने साथ सुरेश चन्द्र, स्वर्ण सिंह, मुकेश कुमार, रामस्वरूप, जीवराज सिंह जीप सरकारी ड्राईवर सुरेन्द्र कुमार मय लेपटॉप, प्रिंटर, कम्प्यूटर कांटा, अनुसंधान बॉक्स इत्यादि लेकर अवैध मादक पदार्थ के कारोबार में संलिप्त बदमाशों की धरपकड़ के लिए थाना से गश्त हेतु रवाना होकर समय 5.30 पीएम पर गांव कालूवाला के मैन फलाईऑवर के पास पहुंचा, तो वहां सीओ साहब व कमलेश सुनील कुमार, योगेश कुमार, चेतराम, राकेश कुमार, सुनीता महिला एफसी, जीप सरकारी डीआर प्रकाश सिंह मिले। इसके पश्चात वे सभी वहां से रवाना होकर समय 5.45 पीएम पर गश्त करते हुए नजदीक अटल सेवा केन्द्र चक महाराजका थाना क्षेत्र जवाहरनगर में पहुंचे, तो करीबन 10 कदम की दूरी से अटल सेवा केंन्द्र के सामने रास्ता आम पर एक व्यक्ति सफेद चोला पजामा पहने हुए खड़ा हुआ नजर आया, जो पुलिस पार्टी के वाहनों को अपनी ओर आता देखकर एकदम से भागा, जिस पर संदेह होने पर उसने हमराही जाब्ता एवं स्वंय की जाब्ता की मदद से पीछा किया, तो वह आगे आगे भागता हुआ, मेन रोड़ चक महाराजका पर आ गया, जिसको हमराही जाब्ता ने घेरा देकर काबू किया। हमराही जाब्ता ने उसे काबू किया जाकर उसने शख्स का नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम गुरप्रीत सिंह पुत्र बलविन्द्र सिंह बताया और उसने उससे भागने का कारण पूछा तो उसने संतोषप्रद जवाब नही दिया और उसकी दाहिने हाथ की मूठी में कुछ छुपाये हुए लगा, जिस पर उसने पूछा तो उसने कोई जवाब नही दिया। उसने मूठी में क्या है, काफी पूछने के बारे में उसने कुछ नही बताया, जिस पर उसको संदेह होने पर गुरप्रीत सिंह की तलाशी लेने हेतु उसने आस पास स्वतंत्र गवाह नही होने से जाब्ता में से सुरेश चन्द्र व मुकेश कुमार एफसी को स्वतंत्र गवाह मुकरर कर उनको अलग अलग लिखित में नोटिस देकर स्वतंत्र गवाह बनाने हेतु उनसे उनकी सहमति हासिल की। गुरप्रीत सिंह को उसने स्वंय व मौजूद साथी पुलिस जाब्ता की तलाशी दिलवाई, जिस पर शख्स गुरप्रीत सिंह को विश्वास दिलाया कि उनके

पास किसी प्रकार की आपत्तिजनक वस्तु नही है। उसने शख्स गुरप्रीत सिंह के दाहिने हाथ में छुपाई पोलीथीन की छोटी थैली, जिसके उपर लॉक सिस्टम लगा हुआ था। जिसके अंदर सफेद डलीनूमा पदार्थ भरा हुआ था। उसके बारे में उसने गुरप्रीत सिंह से पूछा, तो उसने कोई संतोषजनक जवाब नही दिया जिस पर उसने गुरप्रीत सिंह के कब्जा में मिली, पोलीथीन की छोटी थैली जिस पर लॉक सिस्टम लगा हुआ था, को खोलकर देखा तो उसमें सफेद सा डलीनूमा पदार्थ था। जिसको उसने स्वंय व वृताधिकारी और मौजूद जाब्ता को दिखाया और सुंघाया तो सभी ने अनुभव के आधार पर डलीनूमा पदार्थ को चिटा हेरोईन होना बताया। फिर उसने गुरप्रीत सिंह को तस्सली देकर पूछा तो उसने भी हेरोईन चिटा होना स्वीकार किया। इसके बाद उसने गुरप्रीत सिंह को अपने कब्जा में अवैध हेरोईन चिट्टा रखने के बारे में लाईसेंस व परमिट के बारे में पूछा तो उसने नही होना बताया। उसके उपरांत उसने गुरप्रीत सिंह से चिट्टा कहां से लाने बाबत पूछा तो उसने किसी व्यक्ति से स्वंय के पीने के लिए खरीदना बताया व किससे से खरीदा था, उसका नाम नही बताया। उसके उपरांत उसने गुरप्रीत सिंह के पास मिले पदार्थ हेरोईन चिटा को कम्प्यूटर कांटा से वजन किया, तो उसका शुद्ध वजन 7 ग्राम हुआ, उक्त 7 ग्राम चिट्टा हेरोईन को उसी पोलीथीन की छोटी थैली में डालकर एक प्लास्टिक की डिब्बी में सुरक्षित रखकर सफेद कपड़ा की थैली में डालकर सील मोहर कर सैम्पल मार्क ए अंकित किया। कार्यवाही मे प्रयुक्त सील का नमूना फर्द पर अंकित किया गया, उसके बाद सील मोहर में प्रयुक्त की गई सील को कपड़ा की थैली में डालकर दूसरी सील एकेबी मार्का की सील से सील मोहर कर मार्क बी अंकित किया।

17. **बरामदगी के अन्य गवाह पी.ड. 14 सुरेश चन्द्र , पी.ड.15 मुकेश कुमार, पी.ड. 18 स्वर्ण सिंह, पी.ड.19 रामस्वरूप, पी.ड. 22 जीवराज सिंह ने पी.ड.16 राधेश्याम बरामदगीकर्ता अधिकारी के साथ अवैध मादक पदार्थ के काराबेार में संलिप्त बदमाशों की धरपकड़ के लिये थाना से गश्त हेतु रवाना होना व सीओ व उनके साथ मुलाजमान का मिलना व अटल सेवा केन्द्र के सामने रास्ता आम पर अभियुक्त गुरप्रीत सिंह के कब्जा से थैली में 07 ग्राम हेरोईन (चिट्टा) बरामद होना कथन किया है।**

18. **इसी बरामदगी के अन्य गवाह पी.ड. 7 योगेश , पी.ड.8 सुनीता , पी.ड.9 चेतराम पी.ड 10 राकेश कुमार, पी.ड. 20 कमलेश कुमार, पीड 21 सुनील कुमार ने दिनांक 30–7–2017 को तुलसीदास पुरोहित सीओ शहर के साथ अवैध पदार्थ के कारोबार में संलिप्त बदमाशान की धरपकड़ व गश्त के लिये उनके साथ रवाना होना और उन्हें कालूवाला के मेन फलाईऑवर के पास कार्यवाहक थानाधिकारी राधेश्याम मय जाब्ता के मिलना और सभी का रवाना होना और अटल सेवा केन्द्र के सामने रास्ता आम पर अभियुक्त गुरप्रीत सिंह के कब्जा से थैली में 07 ग्राम हेरोईन (चिट्टा) बरामद होना कथन किया है।**

उक्त अभियोजन साक्षीगण से बचाव पक्ष की ओर से विस्तृत प्रति परीक्षा की गई है, किन्तु मामूली फेरफार के अतिरिक्त अभियोजन साक्षीगण की साक्ष्य में इस बाबत कोई ऐसा विरोधाभास होना दर्शित नहीं होता है, जिससे उक्त साक्षीगण की साक्ष्य अविश्वसनीय कही जा सके । अभियुक्त गुरप्रीतसिंह के कब्जा से बरामदगी नहीं हुई , ऐसी कोई साक्ष्य अभियुक्त की ओर से पेश नहीं हुई है।

19. विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से जहां तक दिये गये इस तर्क का प्रश्न कि सी.ओ तुलसीदास मौका पर मौजूद था लेकिन उसके किसी फर्द पर हस्ताक्षर नहीं है, अतः बरामदगी सन्देहजनक है । उक्त तर्क पर मनन किया व पत्रावली पर फर्द बरामदगी का अवलोकन किया गया । यह सही है कि फर्द बरामदगी पर सी.ओ तुलसीदास के हस्ताक्षर नहीं है, परन्तु बरामदगीकर्ता गवाह राधेश्याम व उसके साथ पुलिस मुलाजमान सुरेशचन्द्र , स्वर्ण सिंह, मुकेश कुमार, रामस्वरूप व जीवराज सिंह ने अभियुक्त के कब्जा से हेरोईन बरामद होना एक स्वर में कथन किया है तथा फर्द बरामदगी पर बरामदगीकर्ता अधिकारी व अन्य गवाहान के हस्ताक्षर भी हैं। अतः फर्द बरामदगी पर सी.ओ तुलसीदास के हस्ताक्षर नहीं होने मात्र से अभियुक्त से की गई बरामदगी को सन्देहजनक नहीं कहा जा सकता है। इस सम्बन्ध में विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से दिये गये तर्क स्वीकार योग्य नहीं रहते हैं।

20. जहां तक विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का तर्क कि बरामदगीस्थल आबाद एरिया है लेकिन वक्त बरामदगी कोई स्वतंत्र गवाह नही रखा गया है, का प्रश्न है तो इस सम्बन्ध में पत्रावली का अवलोकन किया गया । हस्तगत प्रकरण में अभियोजन पक्ष के साक्षी बरामदगीकर्ता अधिकारी पी.ड.16 राधेश्याम ने कथन किया है कि गुरप्रगीत सिंह की तलाशी लेने हेतु उसने, आसपास स्वतंत्र गवाह नहीं होने से जाब्ता मे से सुरेन्द्रचन्द्र व मुकेश कुमार एफसी को स्वतंत्र गवाह मुकर्रर किया अन्य गवाहान पी.ड. 14 सुरेश चन्द्र , पी.ड.15 मुकेश कुमार, पी.ड. 18 स्वर्ण सिंह, पी.ड.19 रामस्वरूप , पी.ड.22 जीवराज सिंह एवं गवाहान पी.ड. 7 योगेश , पी.ड.8 सुनीता , पी.ड.9 चेतराम पी.ड 10 राकेश कुमार, पी.ड. 20 कमलेश कुमार, पीड 21 सुनील कुमार ने भी उक्त गवाह की पुष्टि की है। इसके अलावा यह तो प्रकरण विशेष की परिस्थितियों पर निर्भर करता है।

21. इस सम्बन्ध में **न्यायिक दृष्टांत (2000)1 एस.सी.सी. 748 स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ देहली बनाम सुनील** में प्रतिपादित किया गया है कि तलाशी और जब्ती की पुलिस साक्ष्य केवल मात्र इस कारण से दूषित नहीं होती कि स्वतंत्र गवाहान नहीं हैं। इसके अलावा हस्तगत प्रकरण में अभियोजन पक्ष के साक्षीगण ने स्पष्ट बताया है कि आसपास स्वतंत्र. गवाह नहीं होने से पुलिस कर्मियों केा गवाह रखा गया । इसके अलावा पुलिस से आरोपी की कोई रंजिश हो ऐसा कोई

भी तथ्य अभियुक्त की ओर से पेश नहीं किया गया है। इस प्रकार विद्वान अधिवक्ता आरोपी द्वारा स्वतंत्र गवाह के सम्बन्ध में दिया गया तर्क स्वीकार करने योग्य नहीं है।

विद्वान विशिष्ट लोक अभियोजक द्वारा **न्यायिक दृष्टांत 2013 (4) Crimes 4 (SC) Gian Chand & Ors. Vs. State of Haryana** पेश किया गया है , जिसका ससम्मान अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया । इस न्यायिक दृष्टांत में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि अभियुक्त के अनन्य कब्जे से कोई नशीला पदार्थ बरामद होता है तो यह उपधारणा की जाती है कि उसने अपराध कारित किया है और हस्तगत प्रकरण में भी आरोपी के अनन्य कब्जे से हेरोईन की बरामदगी हुई है। अतः यह साबित करने का भार अभियुक्त पर शिफ्ट हो जाता है कि वह यह साबित करे कि उससे किसी प्रकार की बरामदगी नहीं हुई है। अभियुक्त के अनन्य कब्जे से प्रस्तुत साक्षियों से हेरोईन बरामद होना स्पष्ट हुआ है और अभियुक्त अन्यथा रूप से यह साबित करने में असफल रहा है कि उसके पास से उक्त हेरोईन की बरामदगी नहीं हुई है। अंतः अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण में पूर्ण रूप से चस्पा होता है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुार अभियुक्त गुरप्रीत सिंह के कब्जा से थैली में 07 ग्राम हेरोईन (चिट्टा) बरामद होना प्रकरण पर प्रमाणित है।

22. विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से यह भी तर्क दिया कि बरामदगी से पूर्व धारा– 50 एनडीपीएस एक्ट की पालना नही की गई है। इस सम्बन्ध में भी पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया गया । अभियोजन साक्षी के कथनानुसार अभियुक्त से जो बरामदगी की गई है उसके सम्बन्ध में पुलिस के पास कोई पूर्व सूचना हो, ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है। गश्त के दौरान ही अभियुक्त को सन्देह के आधार पर काबू कर उसकी तलाशी के दौरान उससे बरामदगी हुई है । पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से यह भी स्पष्ट है कि बरामदगी अभियुक्त की व्यक्तिगत तलाशी से उसके शरीर से या उसके पहने कपड़े से नहीं हुई है बल्कि उसके पास एक थैली में हेरोईन की बरामदगी हुई है अतः प्रकरण में जो साक्ष्य आयी है उससे अभियुक्त से जो बरामदगी हुई है उसे न्यायलय की राय में चांस रिकवरी कहा जायेगा और चांस रिकवरी के मामले में धारा 50 एनडीपीएस एक्ट का नोटिस दिये जाने का कोई आज्ञापक प्रावधान नहीं है।

23. हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त की व्यक्तिगत तलाशी लेने से पूर्व ही उसके कब्जे के थैला से हेरोईन की बरामदगी हो चुकी थी और अभियुक्त की व्यक्तिगत तलाशी में कोई बरामदगी नहीं हुई है, ऐसी स्थिति में ऐसी चांस रिकवरी के सम्बन्ध में धारा 50 एन.डी.पी.एस. का नोटिस दिये जाने की आवश्यकता शेष नहीं रहती है।

24. माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने एक निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया है कि **S.50 NDPS Act Applies only to personal searches and not to searches of bags carried by the person.** हस्तगत प्रकरण में भी अभियुक्त की व्यक्तिगत तलाशी से कोई बरामदगी नहीं हुई है उसके कब्जा की थैली में से बरामदगी हुई है अतः माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित बिन्दु के अनुसार धारा 50 एन.डी.पी.एस. का नोटिस दिये जाने की कोई आवश्यकता नहीं रहती है।

25. जहां तक विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत **2010 (2) Cr.L.R.(Raj.)1792 Hussain Mohd. @ Baccha vs State of Rajasthan का प्रश्न है इसमें अभिनिर्धारित बिन्दुओं से न्यायालय सादर सहकत है परन्तु उपरोक्त विवेचनानुसार अभियुक्त के व्यक्तिगत कब्जे से कोई बरामदगी नहीं हुई है , उसके पास की पोलीथीन से बरामदगी हुई है अतः तथ्यों की भिन्नता के कारण प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण पर चस्पा नहीं होता है।**

26. जहां तक एफएसएल में सैम्पल सील्ड व सुरक्षित हालत में पंहुचने व बरामदशुदा पदार्थ स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ होने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में बरामदगीकर्ता अधिकारी पी.ड. 16 राधेश्याम ने कथन किया है कि अभियुक्त गुरप्रीत सिंह से बरामदा 07 हेरोईन बरामद हुई जिसे उसी पोलीथीन की छोटी थैली में डालकर एक प्लास्टिक की डिब्बी में सुरक्षित रखकर सफेद कपड़ा की थैली में डालकर सील मोहर कर सैम्पल मार्क ए अंकित किया । उसके बाद सील मोहर में प्रयुक्त की गई सील को कपड़ा की थैली में डालकर दूसरी सील एकेबी मार्क की सील से सील मोहर कर मार्क बी अंकित किया ।उसके द्वारा सील्ड पैकेट्स को मालखाना में जमा करवाया गया ।

गवाह पी.ड 11 महेन्द्र कुमार ने कथन किया है कि दिनांक 30–7–2017 को वह पुलिस थाना जवाहरनगर श्रीगंगानगर में एचसी के पद पर था। उस रोज मालखाना इंचार्ज का पदभार उसके पास था क्योंकि पदस्थापित मालखाना इंचार्ज प्रेमकुमार उस रोज छुट्टी पर थे उस रोज राधेश्याम एसआई ने इस मुकदमा में जब्तशुदा सील्ड पैकेटस क्रमशः ए व बी उसे संभलाये थे जिसका उसने इन्द्राज मालखाना रजिस्टर के क्रमांक 882/280 में किया व मालखाना में जमा किये । अगले रोज मालखाना प्रभारी प्रेमकुमार के आने पर चार्ज उनको सुपुर्द कर दिया गया । सील्ड पैकेट्स जबतक उसकी अभिरक्षा में रहे सील्ड व सुरक्षित हालत में रहे थे। असल मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी 20 है इस पर ए से बी भाग में पैकेट्स जमा करने का इन्द्राज है क से ख भाग पर राधेश्याम एसआई के हस्ताक्षर हैं, अ से ब उसके हस्ताक्षर हैं। मालखाना रजिस्टर की प्रति प्रदर्श पी 20 ए है।

27. कैरियर पी.ड. 1 सनोज कुमार ने कथन किया है कि दिनांक 1–8–2017 को वह पुलिस थाना जहवाहरनगर में एफसी के पद पर कार्यरत था। उस रोज इस मुकदमा के सील्ड पैकेट मार्क ए मय कागजात एसपी से चिट्ठी जारी करवाकर सील्ड पैकेट एफएसएल विभगा में जमा करवाने हेतु मालखाना इंचार्ज ने सुपुर्द किये उसके द्वारा एसपी कार्यालय में पहुंचकर परीक्षण विभाग में कार्यरत रामपाल के माध्यम से एसपी से अग्रेषण पत्र जारी करवाया व उसी रोज एफएसएल विभाग जयपुर हेतु रवाना होकर दिनांक 2–8–2017 को एफएसएल विभाग जयपुर पहुंचकर सील्ड पैकेट जमा कराया व रसीद प्राप्त की उक्त रसीद थाना में आकर एचएम को सुपुर्द कर दी सील्ड पैकेट जबतक उसके पास रहे सील्ड व सुरक्षित अवस्था में रहे । अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी 1 है एफएसएल रसीद प्रदर्श पी 2 ह। इस प्रकार केरियर पी.ड. 1 सनोज कुमार ने मालखाना इंचार्ज से सील्ड अवस्था में पैकेट मार्क ए लेकर एसपी कार्यालय से अग्रेषण पत्र जारी करवाकर एफएसएल में सील्ड पैकेट मार्क ए जमा कराने की साक्ष्य दी है ।

28. इसके अलावा सैम्पल एफएसएल में सील्ड हालत में पहुंचा इसकी पुष्टि प्राप्ति रसीद से होती है तथा इसके अतिरिक्त एफएसएल रिपोर्ट में भी प्राप्त सैम्पल के पैकेट की सील अक्षुण पाई जाने का अंकन है। इस प्रकार प्रकरण पर बरामदशुदा वजह सबूत के सैम्पल बरामदगी से लेकर एफएसएल पहुंचने तक सीलबंद व सुरक्षित हालत में पहुंचना प्रकरण पर प्रमाणित है। जहां तक बरामदशुदा पदार्थ स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ होने का प्रश्न है , इस सम्बन्ध में एफएसएल रिपोर्ट संख्या –FSL/Narco /1031/17 दिनांक 18–1–2018 प्रदर्श पी 29 में पैकेट मार्क ए में स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ हेरोईन होने की सकारात्मक रिपोर्ट है।

29. विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने अपनी बहस के दौरान तर्क रहा है कि बरामदगी से पूर्व धारा–42 एनडीपीएस एक्ट की पालना नही की गई है। इस सम्बन्ध में भी पत्रावली पर आयी साक्ष्य का अवलोकन किया । पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि इस प्रकरण में बरामदगीकर्ता अधिकारी को गश्त के दौरान अभियुक्त के पास हेरोईन होने सम्बन्धी कोई पूर्व सूचना हो, इस सम्बन्ध में कोई साक्ष्य नहीं आयी है। अभियुक्त से जो बरामदगी पुलिस द्वारा दर्शायी गई है वह न्यायालय की राय में चांस रिकवरी की श्रेणी में आती है तथा बरामदगी भी किसी परिसर में नहीं हुई है बल्कि सार्वजनिक स्थान से हुई है जो कि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से स्पष्ट है और सार्वजनिक स्थान पर चांस रिकवरी होने के कारण न्यायालय की राय में हस्तगत प्रकरण में धारा 42 एनडीपीएस एक्ट में वर्णित प्रावधान आकर्षित नहीं होते हैं बल्कि धारा 43 एनडीपीएस एक्ट में वर्णित प्रावधान आकर्षित होते हैं और धारा 43 एनडीपीएस एक्ट में वर्णित प्रावधान के अनुसार मुखबिर द्वारा दी गई सूचना को अभिलिखित किया जाना आज्ञापक प्रावधान नहीं है।

30. विद्वान विशिष्ट लोक अभियोजक की ओर से प्रस्तुत **न्यायिक दृष्टांत AIR 2002 Supreme Court 3658 Narayanaswamy Ravishankar vs Asstt.Director Directorate of Revenue inteligence में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि A- Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act (61 of 1985) S. 42, S. 43- Search and seizure-Taking place at Airport which is a public place-Provisions of S. 43 and not of S. 42 would be applicable- Question of non-compliance of provision of S. 42 would be wholly irrelevant.**

31. विद्वान विशिष्ट लोक अभियोजक की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत **2004 Cri. L.R 5049Nasir Ganibhai shikh and another vs State of Gujarat में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि (A) Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act (61 of 1985) S. 41, S. 42 – Illegal possession of contraband- Search and seizure- Procedure to be follwed-A search is to be carried out in a public place and not in building or closed.**

CriLJ 5050 premises, Investigating Officer is not required to follow procedure laid down in Ss.41,42

32. हस्तगत प्रकरण में भी अभियुक्त के कब्जे से सार्वजनिक स्थान से बरामदगी हुई है अतः धारा 42 एनडीपीएस एक्ट के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। अतः प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण पर पूर्ण रूप से चस्पा होते हैं।

33. इस प्रकार हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त के कब्जे से सार्वजनिक स्थान से बरामदगी हुई है जो पत्रावली पर उपलबध साक्ष्य से बरामदगी प्रमाणित है और सावर्जनिक स्थान से हुई बरामदगी के सम्बन्ध में धारा 42 एनडीपीएस एक्ट के प्रावधान Applicable नहीं होते हैं , बल्कि धारा 43 एनडीपीएस एक्ट के प्रावधान लागू होते हैं। अतः विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से दिया गया तर्क स्वीकार करने योग्य नहीं है।

34. विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का यह भी तर्क दिया कि बरामदगीकर्त्ता अधिकारी राधेश्याम एसएचओ या कार्यवाहक एसएचओ रहा हो, ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही हुई है । इस सम्बन्ध में पत्रावली का अवलोकन किया । पी.ड.16 राधेश्याम ने अपने सशपथ कथनों में कथन किया है कि दिनांक 30-7-2017 को वह पुलिस थाना जवाहरनगर में कार्यवाहक एसएचओ के पद पर था। इसके अलावा बरामदगीकर्ता अधिकारी को थानाधिकारी द्वारा थाना का चार्ज संभलाये जाने की रोजनामचा रपट क्रमांक 054 दिनाक 28-7-2017 6.58 पी एम पर अंकित किया गया है कि , **" मन थानाधिकारी शकील अहमद पुलिस निरीक्षक स्वीकृतशुदा 02 योम जीएच अवकाश पर रवाना हुआ चार्ज**

थाना श्री राधेश्याम उनि के सुपुर्द किया गया।" एवं बरामदगीकर्ता अधिकारी द्वारा दिनांक 30–7–2017 को थाने से रवाना होते समय रोजनामचा रपट क्रमांक 42 दिनांक 30–7–2017 5.16 पी एम पर अंकित किया गया है कि **" मन कार्यवाहक थानाधिकारी राधेश्याम एसआई मय सुरेशचन्द्र सउनि मय स्वर्ण सिंह हैड कांनि० , श्री मुकेश कुमार कांनि., श्री रामस्वरूप कानिं. , श्री जीवराज सिंह कांनि. जीप सरकारी डीआरसुरेन्द्र कुमार मय स्वंय का लेपटॉप , कम्प्यूटर कांटा, प्रिन्टर, यूपीएस व अनुसंधान बॉक्स के हस्बतलविदा द्वारा श्रीमान सीओ साहब वृत शहर श्री गंगानगर के अवैध मादक पदार्थ कारोबार में संलिप्त बदमाशान की धरपकड़ एवं गश्त हेतु रवाना चक महाराजका श्रीगंगानगर को हुआ चार्ज थाना श्रीमती प्रकाश कौर उनि के सुपुर्द किया गया। "** उक्त रोजनामचा को क्रमशः प्रदर्श पी 30 व प्रदर्श पी 31 के रूप में प्रदर्शित कराया गया है।

इस प्रकार उपरोक्त विवेचनानुसार बरामदगीकर्ता अधिकारी को थाने का चार्ज प्राप्त होना साबित है। अतः अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि वरवक्त बरामदगी बरामदगीकर्ता पी .ड.8 राधेश्याम के पास थाने का चार्ज रहा है और वरवक्त वह कार्यवाहक एस.एच.ओ. रहा है।

अतः विद्वान अधिवक्ता की ओर से इस सम्बन्ध में दिया गया तर्क कि बरामदगीकर्ता अधिकारी बरामदगी के रोज एसएचओ नही रहा है, स्वीकार करने योग्य नहीं पाया जाता है।

35 जहां तक विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत S.B.Criminal Appeal 1346/2025 State of Rajasthan , Through PP vs Pawan Kumar Date of Order 23–7–2025, 2011 (1) R.Cr.D.422(Raj.) Umrao vs State of Rajasthan , AIR 1995 Supreme Court 1157 Mohinder Kumar vs The State Panaji , Goa .का प्रश्न है, इनका सादर अवलोकन किया गया । इसमें अभिनिर्धारित बिन्दुओं से न्यायालय सादर सहमत है परन्तु हस्तगत प्रकरण में बरामदगीकर्ता अधिकारी द्वारा की गई बरामदगी चांस रिकवरी की श्रेणी में आती है एवं धारा 42 एनडीपीएस एक्ट के प्रावधान आकृष्ट नहीं होते हैं तथा बरामदगीकर्ता अधिकारी कार्यवाहक एसएचओ रहा हो, इसकी भी दस्तावेजी साक्ष्य से पुष्टि हुई है अतः ऐसी स्थिति में उक्त तीनों न्यायिक दृष्टांत तथ्यों की भिन्नता के कारण हस्तगत प्रकरण पर चस्पा नहीं होते हैं।

36. जहां तक विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का तर्क कि जो रोजनामचा पत्रावली पर पेश होकर प्रदर्शित हुआ है, वह ऑनलाईन है, उसके समर्थन में धारा–65 बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाणपत्र भी पेश नही हुआ है और वह साक्ष्य में ग्राह्य नही है। इस सम्बंन्ध में पत्रावली का अवलोकन किया । पत्रावली के अवलोकन से प्रकट

होता है कि रोजनामचा कम्प्यूटंराईज्ड हैं और ऑनलाईन हैं, इसमें किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। रोजनामचा साक्ष्य में प्रदर्शित भी हुआ है , इस पर कोई आपत्ति भी प्रकट नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में विद्वान अधिवक्ता की ओर से इस सम्बन्ध में दिया गया तर्क कि स्वीकार करने योग्य नहीं पाया जाता है।

37. जहां तक बचाव पक्ष के इस आक्षेप का प्रश्न है कि प्रकरण में अधिनियम की धारा 57 की पालना नहीं की गई है। इस सम्बन्ध में पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिनियम की धारा 57 के अनुसार बरामदगी व गिरफ्तारी के 48 घण्टों के भीतर उच्च अधिकारी को तथ्यात्मक रिपोर्ट भेजा जाना आवश्यक है। हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त से बरामदगी दिनांक 30–7–2017 को समय 6.20 पी एम पर हुई है। पी.ड. 17 श्रीमती प्रकाश देवी ने कथन किया है मकि दिनांक 30–7–2017 को वह पुलिस थाना जवाहरनगर में एसआई के पद पर थी उस रोज इस मतुकदमा की पत्रावली अनुसंधान हेतु उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार प्राप्त हुई । दिनांक 0–7–2017 को प्रकरण की धारा 57 एनडीपीएस एक्ट की पालना में तथ्यात्मक रिपोर्ट तहरीर दो प्रतियों में तैयार कर उसके द्वारा विशेष्ज्ञ वाहक को देकर एसपवी कार्यालय श्रीगंगानगर हेतु देकर रवाना किया जहां उपस्थित एसपी हरेन्द्र महावर को एक प्रति देकर दूसरी पर उनके प्राप्ति हस्ताक्षर कर वाकर उक्त प्रति थाना लाकर उसको सुपुर्द की उक्त प्रति प्रदर्श पी 3 है। इस पर ए से बी स्थान पर उसके हस्ताक्षर हैं, सी से डी एस पी साहब के प्राप्ति के हस्ताक्षर हैं।

पी.ड.2 राजेन्द्र कुमार ने अपने सशपथ कथनों में कथन किया है कि दिनांक 30–7–2017 को वह पुलिस थाना जवाहरनगर में एफसी के पद पर था। उस रोज थानाधिकारी ने इस मुकदमा की धारा 57 एनडीपीएस एक्ट की पालना में दो तहरीर देकर उसे एसपी कार्यालय रवाना किया , उसने एसपी कार्यालय पहुंचकर दोनों प्रतियां एसपी के समक्ष पेश की जिसमें से एसपी ने एक प्रति अपने पास रख ली दूसरी पर प्राप्ति के हस्ताक्षर कर उसे सुपुर्द कर दी उसके द्वारा दूसरी प्रति लाकर थानाधिकारी को सुपुर्द कर दी जो प्रदर्श पी 3 है जिसपर ए से बी थानाधिकारी के सी से डभासग भाग में सुरेन्द्र मूाहवर एपाी के प्राप्ति के हस्ताक्षर है।

इस प्रकार पी.ड. 17 श्रीमती प्रकाश देवी , पी.ड. पी.ड.2 राजेन्द्र कुमार व तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रदर्श पी 3 के अनुसार पुलिस अधीक्षक द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 31–7–2017 को प्राप्त कर ली गई थी, ऐसी स्थिति में बरामदगी से 48 घण्टों के भीतर तथ्यात्मक रिपोर्ट बरामदगी अधिकारी द्वारा उच्च अधिकारियों को भेजा जाना साबित है। इस प्रकार विद्वान अधिवक्ता का अधिनियम की धारा 57 के सन्दर्भ में दिया गया तर्क भी अस्वीकार किया जाता

है।

38. जहां तक विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत **1990 Cr.L.R(Raj.) 149 Bhanwar Singh & Anr. vs The State of Rajasthan ,** का प्रश्न है , इसका सादर अवलोकन किया गया । इसमें अभिनिर्धारित बिन्दुओं से न्यायालय सादर सहमत है परन्तु उक्त न्यायिक दृष्टांत तथ्यों की भिन्नता के कारण हस्तगत प्रकरण पर चस्पा नहीं होता है।

39. विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से दिये गये इस तर्क का प्रश्न कि वजह सबूत की सैम्पलिंग विधिवत नहीं की गई है तो इस सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया गया प्रस्तुत गवाहान के कथनानुसार आरोपी गुरप्रीत सिंह के कब्जे से बरामदा हेरोईन 07 ग्राम को एक कपड़ा की थैली में डालकर सील मोहर कर सैम्पल मार्क ए अंकित किया गया है , जिसे सील्ड अवस्था में ही मालखाना में जमा कराया गया है और मालखाना में सील अवस्था में ही एफएसएल जांच हेतु भेजा गया है एवं मजिस्ट्रेट के समक्ष जब्तशुदा वजह सबूत की इन्वन्टरी भी तैयार हुई है और मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापन रिपोर्ट भी तैयार की गई है तथा सैम्पल न्यायालय में पेश होकर प्रदर्शित भी हुए हैं, ऐसी स्थिति में विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा यह तर्क देना कि सैम्पलिंग विधिवत नहीं हुई है, स्वीकार योग्य नहीं रहता है।

40. विद्वान अधिवक्ता बचाव पक्ष का यह भी तर्क है कि गवाहान के कथनों में भारी विरोधाभास है। इस सम्बन्ध में पत्रावली का अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में साक्षीगण के बयानों के अवलोकन से कहीं ऐसा कोई गम्भीर विरोधाभास आना प्रकट नहीं हुआ है, जिससे कि सम्पूर्ण अभियोजन कहानी पर ही अविश्वास किया जाए। इसके अतिरिक्त ऐसा कोई विरोधाभास भी नहीं है, जिससे किसी अभियोजन साक्षी की साक्ष्य पर अविश्वास उत्पन्न हो। इसके अतिरिक्त इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने **न्यायिक दृष्टांत 2012 (4) एस.सी.सी. 124 सम्पत कुमार बनाम इंस्पैक्टर ऑफ पुलिस** में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि विश्वसनीय गवाहान की साक्ष्य में मामूली विरोधाभास आना अवश्यम्भावी है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की स्मृति व प्रेक्षण में भिन्नता होती है। फलतः इस बिन्दु पर माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि के होते हुए योग्य अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत तर्क अस्वीकार किया जाता है।

जहां तक विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत **1999 Cr.L.R.(Raj.)372 Mishri Lal vs State** का प्रश्न है , इसका सादर अवलोकन किया गया । इसमें अभिनिर्धारित बिन्दुओं से न्यायालय सादर सहमत है परन्तु उक्त न्यायिक दृष्टांत तथ्यों की भिन्नता के कारण हस्तगत प्रकरण पर चस्पा नहीं होते हैं।

41. इसके अतिरिक्त न्यायालय ने सभी गवाहान की साक्ष्य पर विचार किया तो पाया

कि कहीं कोई विसंगति, विचलन या संदेह नहीं है। ऐसा भी कोई तथ्य नहीं आया कि बरामदगीकर्ता ने अभियुक्त गुरप्रीत सिंह को किसी दूरवर्ती हेतुक से प्रेरित होकर प्रकरण में झूठा फंसा दिया हो। गवाह पी०ड० 16 राधेश्याम ने दौराने गश्त अभियुक्त गुरप्रीत सिंह के अनन्य व सचेतन कब्जा से एक थैली में 07 ग्राम हेरोईन (चिट्टा) बरामद करना बताया है। उक्त रिकवरी के सम्बन्ध में कोई सन्देह होना दर्शित नहीं होता है। इस गवाह की साक्ष्य की पुष्टि बरामदगी के अन्य गवाहान पी.ड. 14 सुरेश चन्द्र , पी.ड.15 मुकेश कुमार, पी.ड. 18 स्वर्ण सिंह, पी.ड.19 रामस्वरूप, पी.ड.22 जीवराज सिंह एवं गवाहान पी.ड. 7 योगेश , पी.ड.8 सुनीता , पी.ड.9 चेतराम पी.ड 10 राकेश कुमार, पी.ड. 20 कमलेश कुमार, पीड 21 सुनील कुमार ने की है व अनुसंधान अधिकारी पी.ड. 17 प्रकाश देवी ने भी अनुसंधान में प्रकरण की पुष्टि की है। एफ.एस.एल रिपोर्ट दिनांक 18-1-2018 प्रदर्श पी 29 के अनुसार भी अभियुक्त गुरप्रीत सिंह से बरामद सैम्पल पैकेट मार्क ए में एनडीपीएस घटक हेरोईन पायी गई है। इस सम्बन्ध में विद्वान विशिष्ट लोक अभियोजक की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त- ज्ञानचन्द व अन्य बनाम हरियाणा राज्य में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि-

Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985- Sections 35 and 54 r/w Section 106, Indian Evidence Act, 1872- Contraband found in possession of the appellants- Presumption of conscious possession arises- It is for the accused to prove to the contrary.

इस प्रकार प्रकरण पर यह प्रमाणित हुआ है कि अभियुक्त गुरप्रीत सिंह की ओर से स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 35 व 54 का उन्मोचन नहीं किया गया है ।

42. इस प्रकार साक्ष्य के उपरोक्त विवेचन एवं प्रस्तुत सन्दर्भित न्यायिक दृष्टान्तों व विधि के दृष्टिगत अभियोजन पक्ष अभियुक्त गुरप्रीत सिंह के विरुद्ध अधिनियम की धारा 8/21 का आरोप युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित करने में सफल रहा है। इस कारण अभियुक्त गुरप्रीत सिंह अधिनियम की धारा 8/21, स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम के अपराध के आरोप में दोषसिद्ध किये जाने योग्य है।

43 जहां तक अभियुक्त गुरप्रीत सिंह के विरूद्ध अधिनियम की धारा 8/21 सपठित धारा 29 आपराधिक षड़यंत्र कारित करने के आरोप का प्रश्न है तो अभियुक्त गुरप्रीतसिंह की अभियुक्त सुरेंन्द्र सिंह उर्फ छिन्दा के साथ कोई वार्ता हुई हो, कोई लेनदेन हुआ हो, इस सम्बन्ध में कोई लिंक दस्तावेजी साक्ष्य, कॉल डिटेल व वाट्सएप चैट , बैंक खाता विवरण आदि पेश नहीं हुए हैं।

44. जहां तक अभियुक्त सुरेन्द्र सिंह उर्फ छिन्दा के विरूद्ध अधिनियम की धारा 8/21 सपठित धारा 29 का प्रश्न है इस सम्बन्ध में पत्रावली का अवलोकन किया । अभियुक्त को केवल अभियुक्त गुरप्रीतसिंह के किये गये कथनानसुार अभियुक्त बनाया गया है। अभियुक्त सुरेन्द्र सिंह उर्फ छिन्दा की अभियुक्त गुरप्रीत सिंह के साथ कोई लेनदेन के सम्बन्ध में दस्तावेजी लिंक साक्ष्य, कॉल डिटेल, वाट्सएप चैट पेश नही हुई है। अभियुक्त सुरेन्द्र सिंह उर्फ छिन्दा से किसी प्रकार की कोई बरामदगी नहीं हुई है।

45 इस प्रकार अभियुक्तगण द्वारा हेरोईन क्रय विक्रय करने बाबत कोई लेनदेन के सम्बन्ध में दस्तावेजी लिंक साक्ष्य, कॉल डिटेल, वाट्सएप चैट, बैंक एकाउंट डिटेल पेश नही हुई है। अतः प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण पर पूर्ण रूप से चस्पा होता है। अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध 8/21 सपठित धारा 29 का आरोप सन्देह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है ।

46. अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अभियुक्तगण गुरप्रीत सिंह व सुरेन्द्र सिंह उर्फ छिन्दा को अधिनियम की धारा 8/21 सपठित धारा 29 स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम के अपराध के आरोप से सन्देह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

47. अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त गुरप्रीत सिंह के अनन्य कब्जे से थैली में 07 ग्राम हेरोईन की बरामद किया जाना सन्देह से परे प्रमाणित किया जाता है। अतः अभियुक्त गुरप्रीत सिंह को अधिनियम की धारा 8/21 स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम के अपराध के आरोप में दोषसिद्ध किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है ।

आदेश

48. **अतः अभियुक्त गुरप्रीतसिंह पुत्र बलविन्द्रसिंह , जटिसख, निवासी–चक महाराजका पुलिस थाना जवाहरनगर, श्रीगंगानगर को स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 की धारा 8/21 के अपराध के आरोप में दोषसिद्ध किया जाता है।**

49. अभियुक्तगण (1) गुरप्रीतसिंह पुत्र बलविन्द्रसिंह , जटिसख, निवासी–चक महाराजका पुलिस थाना जवाहरनगर, श्रीगंगानगर , (2) सुरेन्द्रसिंह उर्फ छिन्दा पुत्र साधुसिंह, जटसिख, निवासी–अबूबशहर तहसील–डबवाली जिला–सिरसा (हरियाणा) हाल वार्ड नम्बर–07 सुंदरनगर डबवाली पीएस सिटी डबवाली तहसील–डबवाली जिला–सिरसा (हरियाणा) को स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 की धारा 8/21 सपठित धारा 29 के अपराध के आरोप से सन्देह का लाभ देकर दोषमुक्त किया जाता है।

50. अभियुक्तगण दोनों जमानत पर हैं, अतः उनके पूर्व के नियमित उपस्थिति बाबत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं। अभियुक्त गुरप्रीत सिंह को अभिरक्षा में लिया जाता है। अभियुक्त सुरेन्द्र सिंह उर्फ छिन्दा को धारा 437 (ए) दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत आदेशित किया जाता है कि अभियुक्त स्वंय का पचास हजार रूपये का मुचलका एंव इसी आशय की जमानत प्रस्तुत कर न्यायालय के संतोष हेतु तस्दीक करवा देवे कि जब भी उसको अपील या निगरानी न्यायालय अथवा न्यायालय हाजा से निर्देश प्राप्त होगा वह उपस्थित हो जायेगा।

(अजय कुमार भोजक)
विशिष्ट न्यायाधीश
एनडीपीएस प्रकरण, श्रीगंगानगर

51. निर्णय आज दिनांक 17–03–2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(अजय कुमार भोजक)
विशिष्ट न्यायाधीश
एनडीपीएस प्रकरण, श्रीगंगानगर

–:दण्ड के बिन्दु पर:–

52. दण्ड के बिन्दु पर अभियुक्त गुरप्रीत सिंह एवं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान विशिष्ट लोक अभियोजक को सुना गया।

53. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अभियुक्त इस प्रकरण में पिछले 07 वर्ष से अन्वीक्षा भुगत रहा है , उसका यह प्रथम अपराध है, इसके विरूद्ध पूर्व दोषसिद्धि बाबत कोई साक्ष्य नहीं है। अभियुक्त अपने परिवार में एक ही कमाने वाला व्यक्ति है, अतः उसके प्रति सजा के प्रश्न पर नरमी बरती जावे। इसके विपरीत विद्वान विशिष्ट लोक अभियोजक ने उक्त तर्कों का विरोध करते हुए तर्क दिया कि अभियुक्त के कब्जा से हेरोईन की बरामदगी हुई है। अभियुक्त को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया।

54. उभय पक्ष के तर्कों पर विचार किया गया पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त इस प्रकरण में वर्ष 2019 से अन्वीक्षा भुगत रहा है , इसका यह प्रथम अपराध है एवं इसके विरूद्ध पूर्व दोषसिद्धि बाबत साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद नहीं है परन्तु हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त के कब्जे से 07 हेरोईन (चिट्टा) की बरामदगी हुई है। अतः बरामदगी की मात्रा को देखते हुए एवं समाज में नशे से पड़ने वाले बुरे प्रभाव को देखते हुए

न्यायालय अभियुक्त को निम्नप्रकार से दण्डित किया जाना न्यायोचित समझता है।

दण्डादेश

55. **परिणामस्वरूप अभियुक्त गुरप्रीतसिंह पुत्र बलविन्द्रसिंह , जटसिख, निवासी– चक महाराजका पुलिस थाना जवाहरनगर, श्रीगंगानगर को स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 की धारा 8/21 के अपराध की दोषसिद्धि में दो वर्ष (02 वर्ष) के कठोर कारावास से व दस हजार रूपये (रू० 10,000/–) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है, अदम अदायगी अर्थदण्ड अभियुक्त को दो माह (02 माह) का अतिरिक्त साधारण कारावास और भुगताया जाए।**

56. **अभियुक्त गुरप्रीत सिंह द्वारा पुलिस व न्यायिक अभिरक्षा में व्यतीत की गई अवधि को मूल सजा में समायोजित किया जावे।**

57. प्रकरण में बरामदशुदा हेरोईन के सैम्पल को बाद मियाद अपील, अपील नहीं होने की दशा में नियमानुसार निस्तारण हेतु जिला आबकारी अधिकारी श्रीगंगानगर को सुपुर्द किए जाएं।

58. निर्णय एवं दण्डादेश की एक प्रति अभियुक्त गुरप्रीत सिंह को निःशुल्क अविलम्ब प्रदान की जावे। अभियुक्त गुरप्रीत सिंह का सजा का वारण्ट बनाया जाकर केन्द्रीय कारागृह श्रीगंगानगर भिजवाया जाए।

(अजय कुमार भोजक)
विशिष्ट न्यायाधीश
एनडीपीएस प्रकरण, श्रीगंगानगर

59. दण्डादेश आज दिनांक 17–03–2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(अजय कुमार भोजक)
विशिष्ट न्यायाधीश
एनडीपीएस प्रकरण, श्रीगंगानगर

SUNENA
Steno Gr.III
"Authenticated document"
Digitally signed by SUNENA
Date: 2026.03.18 14:24:08 +0530